


31.10.25

पत्रावली पेश हुई। कोई उप० नहीं आया।
 बार-बार आवाज लगाई गई। न्यायनिष्ठ
 समक्ष स्थापित होने से 5 मिनट पूर्व भी
 आवाज लगाई गई परंतु कोई उप० नहीं
 हुआ। पुनरावृत्ति होने की दिनांक 22.7.24
 से तलबी में लंबित है परंतु वादी द्वारा
 तलबी नहीं करवाई गई। पूर्व में भी
 तलबी हेतु दिनांक 24.7.25 को
 अतिथि अवसर दिया गया था
 तथापि दिनांक 3.9.25 से 2.10.25
 को भी अतिथि पेश करने हेतु
 अतिथि अवसर दिया गया परंतु वादी

214

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
---------	------------------------------------	--

ने जो रुप० आया न ही कोई बदलती
 पेज की इससे यह साबित होता है कि
 वाडी क वाडी अर्थात् अपने वाड को
 चलाने के इच्छुक नहीं हैं और न ही
 किसी प्रकार का अनुतोष चाहते हैं।
 साथ ही अनावश्यक रुप से न्यायालय
 का समय भी जाया कर रहे हैं। इस
 कारण वाडी का वाड इसी स्तर पर
 09 25 के तहत कार्रवाई किया जाता
 है। पत्रावली साखिल दफ्तर ले।


 उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज०)